पत्र सं0 :–26 / विविध–06–15 / 2023...................... /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

शरद कुमार
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता
जल संसाधन विभाग।

पटना, दिनांक................................. ।

विषय :– जल संसाधन विभागान्तर्गत आमंत्रित निविदाओं में संवेदकों द्वारा संलग्न Offline माध्यम से निर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र को अमान्य करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में जल संसाधन विभागान्तर्गत संवेदको / आपूर्तिकर्ताओं / सेवा प्रदाताओं के Online निबंधन की व्यवस्था प्रणाली है। उक्त के क्रम में पूर्व में Offline माध्यम से निर्गत निबंधन प्रमाण–पत्रों को दिनांक–31.08.2024 तक Online में परिवर्तित कराने हेतु सभी संवेदको को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संसूचित किया गया है। उक्त समय सीमा को अंतिम रूप से दिनांक–31.03.2025 तक विस्तारित किया गया, जिसे और आगे विस्तारित नहीं किये जाने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्व में Offline माध्यम से निर्गत वैसे निबंधन प्रमाण–पत्र जिसे संबंधित संवेदक द्वारा Online में परिवर्तित नहीं कराया गया है, विभागान्तर्गत आमंत्रित निविदाओं हेतु अमान्य होंगे।

अतएवं निदेश दिया जाता है कि विभागान्तर्गत आमंत्रित निविदाओं में संवेदको द्वारा संलग्न Online माध्यम से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्रों पर ही विचार किया जाय, Offline माध्यम से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्रों को अमान्य समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(शरद कुमार)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक– पटना / दिनांकः............................

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख बाढ़ / सिंचाई / मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

2

ज्ञापांक– 1964 पटना/ दिनांकः 09.5.25

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई टी सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी कार्यालय को ई0 मेल करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय